फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लादुलाल पिता चांदमल रांका निवासी राशमी

बनाम

ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत राशमी, तहसील राशमी वगैरा

प्रकरण संख्या 189/2022 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार आज भी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगराकार प्रकरण में दिनांक 16.08.2024 से अनुपस्थित चल रहे हैं। पेशी दिनांक 26.03.2025 पर अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता निगराकार को निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी अधिवक्ता निगराकार आज भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ को प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	